

न्यायालय तहसीलदार मसूदा, जिला - अजमेर

प्रकरण संख्या 251/2019

राजस्थान सरकार जरिए पटवारी हल्का

श्राद्धप्रथम

बनाम काटर

पुत्र हजारी

जाति मेराठ

निवासी रावलावाप्पिया

भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 एल. आर. एक्ट

:-निर्णय:-

दिनांक 29.8.19

पत्रावली पेश हुई अप्रार्थी उपस्थित। मैने पत्रावली का अवलोकन किया। पटवारी हल्का

द्वारा सम्वत 2076 ग्राम रावलावाप्पिया की सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 2254 कुल रकबा 11 बीघा

किस्म भूमि दांती में से रकबा 11 बीघा भूमि पर अप्रार्थी श्री काटर पुत्र

हजारी जाति मेराठ निवासी रावलावाप्पिया द्वारा नाजायज मन्दी गीश कर

लिए जाने की भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 एल. आर. एक्ट के तहत रिपोर्ट प्रस्तुत कि गई। प्रकरण भू

-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 एल. आर. एक्ट के तहत रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी का भू-राजस्व

अधिनियम 1956 की धारा 91 एल. आर. एक्ट के प्रावधानों के तहत नोटिस दिनांक 29.8.19 को मुकाम मसूदा

पर उपस्थित होने बाबत जारी किया गया।

अप्रार्थी ने नोटिस के जवाब में अपने पक्ष में कोई ठोस दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः

अप्रार्थी के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। भूमि नियमन योग्य नहीं है।

मैने पत्रावली का विवेचनात्मक अध्ययन एवं मनन किया। अप्रार्थी द्वारा अपने जवाब में कोई ठोस सबूत एवं दस्तावेज पेश नहीं किए एवं अप्रार्थी द्वारा उक्त भूमि पर अपना अवैध अतिक्रमण होना स्वीकार किया। भूमि वर्तमान में राजस्व रिकार्ड अनुसार सिवायचक खाते में दर्ज है। अप्रार्थी बतौर अतिकर्मी उक्त भूमि पर काबिज है।

अतः श्री काटर पुत्र हजारी जाति मेराठ

निवासी रावलावाप्पिया को सिवायचक भूमि ग्राम रावलावाप्पिया के खसरा नम्बर 2254 कुल रकबा 11 किस्म भूमि दांती में से रकबा 11 भूमि पर किए गए नाजायज कब्जे/काश्त के

लिए अतिक्रमी घोषित किया जाता है एवं आदेश दिए जाते हैं कि अप्रार्थी को उक्त भूमि में से बेदखल किए जावे एवं आर्थिक दण्ड के रूप में वार्षिक लगान 30 को पचास गुणा 15/- रुपये बतौर शास्ति आरोपित की जावे व

मौके पर खडी फसल/ अन्य को जब्ज कर सरकार निलाम किया जावे आदेश की पालना भू-अभिलेख निरीक्षक/पटवारी हल्का को व डिमाण्ड कायमी हेतू तहसील राजस्व लेखाकार को लिखा जावे। पत्रावली बाद

कार्यवाही फौसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

नियर्ण आज दिनांक 29.8.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलारा सुनाया गया एवं

शामिल मिसल किया गया

वर्ष 2019-20 के सले 4 रजिस्टर के पृष्ठ सं. पर ल. 18 की मांग कायम की गई।

(प्रमाणित) तहसील अजमेर - अजमेर

ल. अ. अ. विजयनगर 20/8/19